निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 17 /अपील/18

प्रभू आ0 लाला जाति चमार नि0कचराखेडी तहसील पिड़ावा (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिड़ावा (रेस्पो0)

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार पिड़ावा मिसल न0 267/17 निर्णय दिनांक 24.11.17

उपस्थितः– श्री बालचन्द परिहार अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

–: निर्णय :– **दिनांकः 28.03.2018**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा के आदेश दिनांक 24.11.2017 जो मिसल न0 267/17 पर दिया गया जिसमें अपीलान्ट को ग्राम कचराखेडी की गे0मु0 पहाड़ी की आराजी ख0न0 667/795 की 01 बीघा भूमि पर अतिक्रमी मानकर फसल निलामी व 57/–रू. शास्ती आरोपित करते हुए 90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का फैसला खिलाफ कानून एंव पत्रावली संग्रह सार के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अंधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया है । अपीलान्ट द्वारा कब्जा छोड दिया उसके द्वारा सम्पूर्ण जुर्माना राशि जमा करवादी गई है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निणय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्ठी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नही है कब्जा हटा लिया गया है व पेनेल्टी की राशि भी जमा राज करवादी गई है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर ही सजायाब किया गया है अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने पर ही सजायाब किया जाना तो साबित है । चूंकि अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया गया है व पेनल्टी की राशि भी जमा करवा दी गई है जिसकी पुष्ठी पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी व रसीद से होती है। ऐसी दशा में अपीलान्ट कुछ राहत पाने का पात्र है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में दो माह की अवधि में 20000/– रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वंय का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वंय अतिक्रमण करेगें और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगें। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वंय का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नही होगी। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.**03.2018** को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़